


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

जैसाराम बनाम सहायक कलक्टर फागी व अन्य

केस संख्या 145/2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
18.02..2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर फागी के लिंक पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आर.ए.एस. के स्थान पर पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी श्री जयंत कुमार आर.ए.एस. का पदस्थापन हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2023 व उनवानी कैलाश चन्द बनाम जैसाराम व अन्य में लिंक पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर फागी के लिंक पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार के स्थान पर श्री जयंत कुमार आर.ए.एस. का पदस्थापन हो गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा लिंक पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">               (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी )              जिला कलक्टर              जयपुर         </p>	